



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभारी पैरवी कर अवैध नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 06 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु0अ0सं0- 561/2010 धारा- 8/22 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भानूप्रताप पुत्र पंचमलाल नि0 बसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 06 माह का कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री प्रवीण
कुमार सिंह



विवेचक-
उ0नि0 सन्तराम



पैरोकार- थाना बिवार
का0 प्रेम सिंह